फर्द अहकाम

राजस्व प्रकरण संख्या 335/2015 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, ब
बनाम रूपा राव अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.04.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पेराकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री कैलाश कुमावत उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि अप्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश कुमावत द्वारा बहस में अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही हैं कि बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि का प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली के आदेश क्रमॉक:एफ. 12(3) ( ) राज/संप./2015/2253 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया हैं। जिस दस्तावेज के आधार पर नामा0करण संख्या 2277 दायर किया गया, परन्तु स्थगन आदेश जारी होने से नामान्तरकरण स्वीकृति से शेष हैं। जिससे प्रथम दुष्ट्या प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हैं। जिससे गलत तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के दलील दी। उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो के खण्डन स्वरूप ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जो यह प्रमाणित करे कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 1741 रकबा 0.39 हैक्टर का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं कराया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 रकबा 0.39 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने के तथ्य जाहिर करते हुये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही का निवेदन किया गया। तथा साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई। परन्तु अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जबाव के समर्थन में जो अभिलेखीय साक्ष्य रूपान्तरण आदेश की प्रतिया पेश की गई हैं, उनके अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि वर्णित भूमि का अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को इसी न्यायालय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा जब अपनी कृषि भूमि का अवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा दिया है, तो अप्रार्थी विधि अनुसार वर्णित भूमि का अवासीय प्रयोजनार्थ ऊपयोग ले सकता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रूपान्तरण आदेश के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन नहीं हुआ हैं। क्योंकि अप्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा दिया हैं। अप्रार्थी के पास आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का आदेश होते हुये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व ली गई एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी होने से नामान्तरकरण नहीं हो रहा है। जिससे अप्रार्थी पक्ष को असुविधा एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। उक्त विवेचन से प्रकरण में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 रकबा 0.39 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner